पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 19439

==

विश्वनाथ पटेल, पुत्र- रामदेव राय पटेल, निवासी- ग्राम- बाबरबन, थाना- मोतीपुर, जिला- मुज़फ्फरपुर, वर्तमान में माध्यमिक विधालय में शारिरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में तैनात हैं, मोतीपुर, अंचल- मोतीपुर, जिला- मुज़फ्फरपुर ।

....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य, बिहार सरकार, पटना
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुज़फ्फरपुर, जिला- मुजफरपुर
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिष्ठान, मुज़फ्फरपुर, जिला- मुज़फ्फरपुर

... ...प्रतिवादी/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री विजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओ के लिए : श्री सीता राम यादव, जी.पी.16

श्री यतींद्र नारायण, ए.सी. से जी.पी. 16

==

सेवा कानून-वसूली-याचिकाकर्ता को शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था-याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति के समय मैट्रिक प्रशिक्षित नहीं था; और याचिकाकर्ता के वेतन से वसूली पहले ही 20 (बीस) किस्तों में की जा चुकी है, जो अरविंद कुमार के मामले के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के अधिक भुगतान के लिए है- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली वापस की जानी चाहिए—प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के वेतन से वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था —यदि आदेश की प्रति प्राप्त करने/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को राशि वापस नहीं की गई तो 6% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा—याचिकाकर्ता को एसीपी के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई—रिट याचिका का निपटारा किया गया।

(पैरा 12 से 16)

2009(2) पी.एल.जे.आर. (एससी) 74—***निर्भर किया गया***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तिथि : 03.05.2024

1. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकरण को उस राशि को वापस करने का आदेश देने के लिए वर्तमान रिट आवेदन को दायर किया है जो याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित पैमाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान के अनुसार याचिकाकर्ता से वसूल की गई थी। याचिकाकर्ता का आगे का अनुरोध याचिकाकर्ता को पहली ए.सी.पी. देने के लिए उतरदाताओं को निर्देश देने के लिए है और दूसरी ए.सी.पी.।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अधिसुचना संख्या 307 दिनांक 19.02.1985 के माध्यम से शारिरिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की योग्यता आई.ए. सी.पी.ईडी (शारिरिक) के साथ थी। याचिकाकर्ता को मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान 4500-7000 रूपये मिलना शुरू हो गया । 2003 (2) पी.एल.जे.आर. 599 अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य समान मामलों में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिसे इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था, याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों को दिए गए वेतन की वसूली इस आधार पर की गई थी कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति के समय मैट्रिक प्रशिक्षित नही था और वह 4500-7000 रूपये के पैमाने का भूगतान करने का हकदार नहीं था।

3. प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार याचिकाकर्ता 3050-4590 रूपये के वेतनमान का हकदार था। मैट्रिक प्रशिक्षित पैमाने के अतिरिक्त भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के वेतन से बीस किश्तों में वसूली पहले ही की जा चुकी है।

4. याचिकाकर्ता ने 2004 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13243 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले का पूर्ण या आंशिक रूप

से प्रभावित शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील 2009 (2) पी.एल.जे.आर.74 (एस.सी.) सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते है और प्रस्तुत करता है कि इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से उत्पन्न एस.एल.पी. का निर्णय 16.12.2008 को यह मानते हुए किया गया था कि अपीलार्थियों को दी गई अतिरिक्त राशि उनकी ओर से किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं थी और अतिरिक्त भुगतान उन पर लागु नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था। तदनुसार, उनसे अधिक भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी और बरामद की गई राशि को वापस करना होगा।

6. विद्वान वकील दिनांकित 03.11.2003 परिपत्र पर निर्भर करते है और प्रस्तुत करते है कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद परिपत्र के साथ आई है जिसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी गई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को वेतन का भूगतान लागू नियम के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, प्राथमिक विधालय के शिक्षक 3050-4590 रूपये के वेतनमान में समान वेतन के हकदार है।

7. इसके बाद याचिकाकर्ता के वेतन में सशोधन किया गया है और 2004 से याचिकाकर्ता को 3050-4590 रूपये के वेतनमान में वेतन मिल रहा है और अब सेवानिवृत हो गया है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद और 2004 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13243 दिनांक 27.09.2006 में पारित इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफरपुर के समक्ष अपने वेतन से बरामद राशि की वापसी के लिए अभ्यावेदन 14.10.2009 पर अनुलग्नक-9 के माध्यम से दायर किया लेकिन

याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में सेवानिवृत हुआ लेकिन पूरी सेवा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को कोई वितीय उन्नयन और / या पदोन्नति नहीं दी गई है, जैसे कि बारह साल और चौबिस साल की सेवा के पूरा होने के बाद याचिकाकर्ता प्रथम और द्वितीय ए.सी.पी. के अनुदान के लिए विचार करने का हकदार है। इसके फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6725/2018 दिनांक 17-10-2019 में पारित किया विद्वान वकील का कहना है कि ए.सी.पी. की योजना उपयुक्त है और याचिकाकर्ता वित्तीय उन्नयन/ए.सी.पी. का हकदार है।

9. दुसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को शरिरिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे अपने खर्च पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर दो साल का शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक था और दो साल का प्रशिक्षण उर्तीण करने के बाद याचिकाकर्ता मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का हकदार था, लेकिन याचिकाकर्ता ने दो साल का शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया, जिसके कारण याचिकाकर्ता मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का हकदार नहीं था और उसे सरकारी अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 19.02.1985 के अनुसार मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि 16.12.2008 का निर्णय और आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2003 के सिविल अपील सं. 3351-3355, 3364 में पारित किया गया आदेश मौलिक नियमों के नियम 22सी द्वारा शासित कनिष्ठ वेतनमान से उच्च वेतनमान में पदोन्नति पर वेतनमान निर्धारित करने से संबंधित मामले से संबंधित है लेकिन यह निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है इसलिए राशि की वापसी के लिए उसका दावा कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।

10. जहाँ तक ए. सी. पी. के अनुदान का संबंध है, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि ए. सी. पी. के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना या तो 09.08.1999 के प्रभाव से या

01.01.2009 के प्रभाव से बिहार टेकन ओवर एलीमेंट्री स्कूल टीचर्स प्रमोशन रूल, 1993 के नियम 13 के साथ-साथ एलीमेंट्री स्कूल टीचर्स प्रमोशन रूल, 2011 के नियम 16 के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को 1985 में उनकी नियुक्ति की तारीख से 2003 तक मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक का पैमाना दिया गया था।

12. (2003) 2 पी.एल.जे.आर. 599 में दिए गए इस अदालत के फैसले और राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार मैट्रिक अप्रशिक्षित शिक्षक मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए निर्धारित पैमाने के हकदार नहीं थे और तदनुसार उच्च न्यायालय ने वसूली के लिए राज्य सरकार के रूख को मंजूरी दी जिसमें उन शिक्षकों को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता था जो मैदिक अप्रशिक्षित थे और मैट्रिक प्रशिक्षित पैमाना प्राप्त कर रहे थे। मामला इस अदालत के समक्ष गया और इस अदालत ने रिट आवेदन के साथ-साथ एल.पी.ए. ने ऐसे शिक्षकों से राज्य सरकार की वसूली की कार्रवाई को मंजूरी दी, जिन्होंने मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कोई प्रशिक्षण नहीं होने के बावजूद मैट्रिक प्रशिक्षित स्केल प्राप्त किया था। अंततः इस मुद्दे का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009 (2) पी.एल,जे.आर. 74 (एस.सी.) में दिए गए निर्णय में किया गया था जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली को वापस करना होगा। याचिकाकर्ता ने अपने मामले में पारित निर्णय के अनुसार 2009 में जिला शिक्षा अधिकारी, मुज़फ्फरपुर के समक्ष अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए अभ्यावेदन दायर किया, यानी 2004 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13243, लेकिन संबंधित प्रतिवादी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

13. प्रतिवादी / राज्य कहने की स्थिति में नहीं है याचिकाकर्ता से राशि की मात्रा वसूल की गई।

14. याचिकाकर्ता के मामले में पारित तथ्यात्मक पहलू और फैसले के साथ-साथ सैयद अब्दुल कादिर मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी/राज्य को याचिकाकर्ता के वेतन से बरामद राशि को प्राप्त होने की तारीख/ इस आदेश की एक प्रति का उत्पादन से तीन महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

15. यदि तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को राशि वापस नहीं की जाती है, तो उस पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

16. जहाँ तक ए.सी.पी. के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे का संबंध है, याचिकाकर्ता को दाखिल करने की छूट दी गई है प्रधिनिधित्व के लिए संबंधित प्राधिकरण यानी जिला शिक्षा अधिकारी, मुज़फ़्फ़रपुर (प्रतिवादी सं. 4) आज से एक महीने की अवधि के भीतर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ और यदि ऐसा अभ्यावेदन दाखिल किया जाता है, तो डी.ई.ओ., मुज़फ़्फ़रपुर अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की और अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा कानून के अनुसार इसका निपटारा करने के लिए बाध्य होगा।

17. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।